राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः ई–20/म0स्वा0कार्य0/पी–218/2019/ दिनांकः–

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 642 दिनांक 12.07.2018 के द्वारा श्रीमती प्रेमलता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पदस्थापन/स्थानान्तरण सीएचसी कुम्हेर, भरतपुर से उप स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा, पाली में किया गया है। उक्त स्थानान्तरण के विरुद्व अपीलार्थी द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 1150/2019 दायर की गई जिसमे माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 14.06.19 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया:–

"प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख के आधार पर यह स्वीकृत रुप से प्रकट है कि अपीलार्थी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुम्हेर, भरतपुर में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत है। मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण दिनांक 01.05.2013 के अनुसार वह 36.5 प्रतिशत दिव्यांग है और उसका आलोच्य आदेश दिनांक 12.07.2018 के द्वारा उप स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा, पाली 530 किलोमीटर दूर स्थानांतरण किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय ए. आई.आर 1991 एस.सी. 532 शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य में यह अवधारित किया गया है। कि न्यायालयों को किसी स्थानांतरण आदेश के नियमों की अवहेलना एवं दुर्भावना से ग्रसित होने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए, परन्तु प्रकरण के तथ्यों एवं अपीलार्थी की परिस्थितियों के मददेनजर और विशेषतः न्यायालय, आयुक्त विशेष योग्यजन के द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.07.2018 एवं अंपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की सहगति के मददेनजर हम अपीलार्थी को न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते है वह आलोच्य आदेश दिनांक 12.07.2018 के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर दिनांक 28.06.19 तक एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोत्त आश्य का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों एवं न्यायालय आयुक्त विशेष योग्यजन के आदेश दिनांक 16.07.2018 के परिप्रेक्ष्य में एक माह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दे। उक्तानुसार अपीलार्थी के अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निस्तारित किये जाने तक प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 12.07.2018 का क्रियान्वयन (operation) अपीलार्थी के संबंध में स्थगित रहेगा। यदि अपीलार्थी दिनांक 28.06.2019 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत नही करती है तो यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।"

माननीय अधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 14.06.19 की पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.06.2019 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया पैर से दिव्यांग है चलने फिरने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। परिवार की समस्त जिम्मेदारिया उन्हीं पर है तथा उनके द्वारा अब तक राजकीय सेवा का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ किया गया है। अतः पारिवारिक परिस्थितियों क मध्यनजर सीएचसी कुम्हेर, भरतपुर से उप स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा, पाली किया गया स्थानान्तरण निरस्त किया जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का मेरे द्वारा अवलोकन एवं मनन किया गया। अपीलार्थी की दिव्यांगता (36.5 प्रतिशत) एवं इनकी पारिवारिक परिस्थितियों के मध्यनजर प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार किया जाता है। यदि अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरित स्थान उप स्वास्थ्य केन्द्र राजपुरा, पाली में कार्यग्रहण नही किया हो तो अपीलार्थी अपने पूर्व पदस्थापन स्थान सीएचसी कुम्हेर में यथावत कार्यरत रहेंगी।

S/d
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–20 / म0स्वा0कार्य0 / पी–218 / 2019 / 1021 दिनांक – 2-7-019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. संयुक्त निदेशक, जोन–जोधपुर / भरतपुर।
2. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर / पाली।
4. सम्बन्धित अपीलार्थी को रिट में उल्लेखित पते पर।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर